हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया

(इस दस्तावेज़ में ना.ला.सा मानक संचालन प्रक्रिया को प्रतिशब्द प्रस्तुत किया गया है परन्तु हितकारकों के कार्यों के अनुसार विभाजित किया गया है।)

आवश्यकता है

- विधिक सेवा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था को पूरे देश में एक जैसा बनाने की।
- जेल विजिटिंग अधिवक्ता की जेल में बंदियों से मिलने कि व्यवस्था एवं कोर्ट में उनके प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था को प्रबल करने की।

हिरासत में व्यक्तियों की विधिक सहायता का सुनिश्चितीकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

- मेंबर सेक्रेटरी जेलों के विधिक सेवा क्लीनिक के कामकाज का नियमित रूप से समीक्षा करें।
- सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी द्वारा जेल विजिटिंग ऑफिसर के रूप में दी गई सेवा का मानदेय तय करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

नियुक्ति

- प्रत्येक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पैनल अधिवक्ता को रिमांड अधिवक्ता के रूप में तथा सेशन कोर्ट में भी ज़रूरत अनुसार नियुक्ति करें।
- पैनल अधिवक्ता में से कुछ को जेल विजिटिंग अधिवक्ता के रूप में निर्धारित करें।
- लंबे समय के लिए सजा प्राप्त कैदियों में से, पर्याप्त संख्या में, पैरालिगल स्वयंसेवक चुनें और उन्हें समुचित प्रखिक्षण प्रदान करें।
- सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी की जेल विजिटिंग अधिवक्ता के रूप में सेवा प्राप्त करने की संभावना का प्रयास करें।

विधिक सहायता क्लीनिक

- विधिक सहायता क्लीनिक चलाने के लिए जेल के भीतर किसी स्थान का स्पष्ट निर्धारण एवं क्लीनिक का कामकाज प्रभावी तरीके से हो, इसके लिए नियमानुसार ज़रूरी व्यवस्था मुहैया कराएं।
- बंदियों के साथ संवाद कायम करने के लिए यथासंभव विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें।
- अगर पता चले कि किसी विचाराधीन बंदी का अधिवक्ता नहीं है तो उसे वकील मुहैया कराने के लिए समुचित निर्देश जारी करें।
- डिस्ट्रिक्ट जज या जेल इंस्पेक्टिंग जज के समक्ष उन मामलों को पेश करना जिनपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जेल अधीक्षक द्वारा जिन मामलों को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाता है उन्हें उचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी पकवाड़ा रिपोर्ट में पेश करें।
- सी.आर.पी.सी की धारा 436ए के अंतर्गत योग्य पाये गए बंदियों के मामलों को ज़िला विचाराधीन समीक्षा समिति के समक्ष पेश करें।

विधिक जागरूकता

- जेलों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करें जिससे कानूनी मामलों, खासकर हिरासत में बंदियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता हो।

सुझाव/शिकायत पेटिका

- जेल में सुझाव पेटी का और शिकायत बताने के लिए एक शिकायत पेटिका रखें और इसे हफ्ते में एक बार पैनल वकील और अधीक्षक की मौजूदगी में खोलें।
- विधिक सहायता क्लीनिक की शिकायत पेटिका के ज़रिए उनके ध्यान में लाए गए शिकायतें/सुझाव पर कार्यवाही करें।

रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण

- सुनिश्चित करें कि प्रकरणों की स्थिति जेल में क्लीनिक द्वारा रखे जाने जाने वाल रजिस्टर में दर्ज की जाए और जेल अधीक्षक एवं बंदियों का सूचित किया जाये।

पैनल अधिवक्ता जेल विजिटिंग

- हफ्ते में कम से कम दो बार जेल का दौरा करें।
- बंदियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें, खासकर नये बंदियों से बातचीत करें ताकि पता चल सके कि उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकारों के बारे में सूचित करें और फिर अगर उनको पता चले की किसी विचाराधीन बन्दी के पास वकील नहीं है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें ताकि विधिक सेवा वकील नियुक्त किया जा सके।
- बंदियों से बातचीत करें ताकि मामले की बेहतर समझ कर हो सके। एसी प्रत्येक बातचीत का एक संक्षिप्त सारांश तैयार कर उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भेजें ताकि नियुक्त विधिक सेवा वकील आरोपित के परिवारजन से संपर्क कर सकें।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को उन प्रकरणों के बारे में बतायें जिनमें कैदी की तरफ से जमानत की अर्जी लगायी जानी है या जमानत का आदेश हो गया है लेकिन ज़मानती बांड विभिन्न कारणों से नहीं भरा जा सका है।
- सुनवाई के 3 दिन के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सुनवाई की अगामी तारीख और उनके उद्देश्य के बारे में सूचित करें।
- जेल की क्लीनिक के रजिस्टर में प्रकरण की प्रगति का ब्यौरा दर्ज करें और इसके बारे में बंदी तथा जेल अधीक्षक को बतायें।

पैरालीगल स्वयंसेवक

- बंदियों से, विशेष कर नऐ प्रवेशकों से संपर्क करें और जेल विजिटिंग अधिवक्ता अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्यान में आवश्यक मामले लाए जायें।
- पैरालीगल इस बात का रिकार्ड रखेंगे के बंदी को किस तारीख को जेल में लाया गया, उसपर कौन से आरोप लगाये गये, क्या उसका प्रतिनिधीत्व हो रहा है, प्रकरण की स्थिति, मामले की सुनवाई की अगली तारीख और कोर्ट का नाम।
- जेल की क्लीनिक की रजिस्टर में हर प्रकरण में हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा दर्ज करें और इसके बारे में जेल अधीक्षक तथा बंदी को बतायें।

जेल अधिकारी

- जेल अधीक्षक हर पखवाड़े जेल में निरूद्ध कैदियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को समीक्षा के लिए भेजें।
- सुझाव/शिकायात पेटिका हफ्ते में एक दफा पैनल वकील की मौजूदगी में खोली जाए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के समझा ज़रूरी मामले ध्यान में लाएं।
- सुनिश्चित करें कि प्रकरणों की स्थिति जेल में क्लिनिक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाए और जेल अधीक्षक एवं बंदियों को सूचित किया जाये।

अभियुक्त व्यक्तियों की पेशी का सुनिश्चितीकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

- राज्य की सभी जेलों का निरीक्षण करवाएं और ऐसे बंदियों के बारे में पता लगाएं जो कई पेशियों से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए है। निरीक्षण के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को ऐसे प्रकरणों में सम्बंधित न्यायालय में अर्जी लगाने का निर्देश दें।
- हिरासत में व्यक्तियों की न्यायालयों में पेशी के लिए समुचित संख्या में सशस्त्र वाहन और सुरक्षाकर्मी प्रदान करने का मामला उचित सरकार के सामने लाएं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

- सी.जे.एम/सी.एम.एम के ध्यान में ऐसे प्रकरण लाये जायें जिनमें निर्धारित तिथि पर हिरासत में निरूद्ध व्यक्तियों की पेशी नहीं हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट

- (उपर्युक्त के आधार पर) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटिन मैजिस्ट्रेट समुचित कदम उठायें एवम अभी के लिए एक मेजिस्ट्रेट को नामित करें कि वह जेल में जाके दिन भर का रिमांड संबंधी कार्य करें।

वकील और पैरालीगल

- ऐसे प्रकरणों का ध्यान रखें जिनमें बंदियों की निर्धारित तारीख पर पेशी नहीं हुई हो या सुनवाई की अगली तारीख नहीं मिली हो तथा इसके बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the *practical* realisation of human rights in the Commonwealth

कॉमनवेल्थ हयूमन राईटस् इनिशिएटिव
55ए, तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर्स–1
कालू सराय, नई दिल्ली–110 016 (भारत)
दूरभाषः +91 11 4318 0200
फैक्सः +91 11 2686 4688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org

द कॉमनवेल्थ हयूमन राईटसृ इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई) एक स्वतंत्र निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो कॉमनवेल्थ के देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से साकार करने के उद्देश्य से कार्यरत है।

www.humanrightsinitiative.org